न्यायालय उप खण्ड अधिकारी भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

(निर्णय बइजलारा श्री छत्रपाल चौधरी, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी)

प्रकरण संख्या 3/दावा/2021

सीताराम आ0 घीसालाल जाति भील निवासी सूलिया, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान।

....वादी

बनाम

1. श्यामलाल आ. स्व. घीसालाल जाति भील निवासी सूलिया, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राज.।
2. चन्दरलाल आ. स्व. घीसालाल जाति भील निवासी सूलिया, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राज.।
3. जानीबाई पुत्री स्व. घीसालाल जाति भील निवासी सूलिया, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राज.
4. धापूबाई पुत्री स्व. घीसालाल, पत्नी प्रभुलाल जाति भील निवासी जोनपुरा तहसील सूनेल, जिला झालावाड़, राज.।
5. बाबूलाल आ. स्व. पीरूलाल जाति भील निवासी सूलिया, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राज.।
6. भगवानलाल आ. स्व. पीरूलाल जाति भील निवासी सूलिया, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राज.।
7. प्रभुलाल आ. स्व. पीरूलाल जाति भील निवासी सूलिया, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राज.।

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

Scanned with OKEN Scanner

8. सीताबाई पत्नी स्व. पीरूलाल जाति भील निवासी सूलिया, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राज.।
9. शिवलाल आ. जुझारसिंह (पुत्र स्व. श्रीमती केसरबाई पुत्री स्व. घीसालाल) निवासी करमाखेड़ी, तहसील सूनेल, जिला झालावाड़, राज.।
10. हरिसिंह आ. जुझारसिंह (पुत्र स्व. श्रीमती केसरबाई पुत्री स्व. घीसालाल) निवासी करमाखेडी, तहसील सूनेल, जिला झालावाड़, राज.।
11. संतोष पत्नी कालूलाल (पुत्र स्व. श्रीमती केसरबाई पुत्री स्व. घीसालाल) निवासी देवली, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़, राज.।
12. गुड्डीबाई पत्नी रोडूलाल (पुत्र स्व. श्रीमती केसरबाई पुत्री स्व. घीसालाल) निवासी खेंदियाखेड़ी, थाना सोयत, म.प्र.।
13. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा भवानीमण्डी, जरिये शाखा प्रबंधक।
14. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार तहसील पचपहाड़।

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थिति :–

1. श्री शिवलौर, अभिभाषक, वादी।
2. श्री मुकेश राठोर, अभिभाषक, प्रतिवादी संख्या 4, 9 से 12 तक।
3. श्री सतीष गुप्ता, अभिभाषक, प्रतिवादी संख्या 13 के लिये।

निर्णय

दिनांक 18.07.2024

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सूलिया पटवार हल्का सूलिया तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान में जमाबंदी खाता संख्या 234 नया व 184 पुराना में आराजी ख.नं. 481 रकबा 0.6070 हेक्टेयर, खसरा नं. 481/1462

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.4805 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.0875 हेक्टेयर, लगानी 4.3800 रूपये, से दर्ज खाता है, जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम सूलिया पटवार हल्का सूलिया तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान में ही जमाबंदी खाता संख्या 235 नया व 230 पुराना में आराजी ख.नं. 291 रकबा 0.2150, हेक्टेयर, खसरा नम्बर 292 रकबा 1.2645 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 303 रकबा 1.1381 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.6176 हेक्टेयर, लगानी 8.3000 रूपये, से दर्ज खाता है, जिसमें वादी का 1/7 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसे प्रकरण में वादग्रस्त आराजी कहा गया है। यह कि वादी के पिता का नाम घीसालाल है, वाद पत्र में वर्णित सजरा मुताबिक घीसालाल के सात संताने थी। जिसमें चार पुत्र पीरूलाल, श्यामलाल, वादी स्वयं व चन्दरलाल तथा तीन पुत्रियां केसरबाई, जानीबाई, धापूबाई थी। जिनमें से पुत्र पीरूलाल व पुत्री केसरबाई की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारीसान को वादपत्र में क्रमशः प्रतिवादी संख्या 5 से 8 तथा 9 से 12 बनाया गया है। शेष प्रतिवादी संख्या 2, 4, 6 व 7 वादी के भाई/बहन हैं।

वाद पत्र के माध्यम से वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त वर्णित आराजी खाता संख्या 4 में जो कुआं खुदा हुआ है, वह वादी ने स्वयं अपने खर्चे से अपने हिस्से की आराजी पर खुदवाया था, जिसका उपयोग व उपभोग वादी स्वयं करता चला आ रहा है एवं उक्त कुंए पर वादी का ही अधिकार है, प्रतिवादी का कोई अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित आराजी मं वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच लगभग 30 वर्ष पूर्व मौके पर बंटवारा हो चुका है और वादी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। केवल रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने से वादी को वाद करना आवश्यक हुआ हैं। क्योंकि उक्त वर्णित शामलाती व पैतृक आराजी को लेकर आये दिन पक्षकारों में झगड़ा फसाद होता रहता है। प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयान करते रहते है। इसलिये वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह दोनो खातों की आराजी के प्रत्येक नम्बरान में से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का बंटवारा करवाकर अपना खाता अलग घोषित करवाये।

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

Scanned with OKEN Scanner

इसलिये वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी ने प्रार्थना की है कि डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की प्रदान की जाये कि वाद पत्र के पेरा नम्बर 4 व 5 में वर्णित अराजी के दोनो खातों की आराजी में से वादी के हिस्से की आराजी का बंटवारा कर वादी का खाता उसके हिस्से अनुसार अलग घोषित किया जाये, प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाद पत्र के पेरा नम्बर 4 व 5 में वर्णित आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करे बैचान नहीं करें, वादी की आराजी पर से तुरन्त कब्जा हटा ले उसकी आराजी पर जबरन कब्जा न तो स्वंय करे व न ही अपने नौकर, ऐजेन्टों से करवायें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 से 8 के बाद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारीत किये गये। प्रतिवादी संख्या 4, 9, 10, 11 व 12 की ओर से प्रस्तुत जवाब स्वीकारात्मक रहा जिसमें कहा गया कि वाद पत्र के पेरा नम्बर 16 के सब पेरा अ,ब,स,द में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष वादी के पक्ष में स्वीकार किये जाने पर प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है, साथ ही प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी का भी बंटवारा किया जाकर अलग अलग खाता घोषित करने तथा कागजों व रिकर्ड में रद्दोबदल करने का अनुतोष प्रदान करने की कृपा करें। प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया कि प्रतिवादी क्रम 13 का प्रतिवादी संख्या 2 चन्दरलाल पर काफी ऋण बकाया है, जिसकी वसूली में कोई विधिक व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिये सम्पूर्ण ऋण की वसूली से पूर्व वादी द्वारा चाही गई राहत नहीं दिये जाने की कृपा करें।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस में जवाब दावा स्वीकारात्मक होने से वादी की आराजी का हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का बंटवारा करवाकर कब्जा संभलाया जाने सम्बन्धित कथन किया, वहीं वकील प्रतिवादी संख्या संख्या 4, 9 से 12 ने भी बहस में वादग्रस्त आराजी का हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने सम्बन्धित कथन किया, वकील प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

13 की ओर से बहस में जवाब दावा अनुसार वसूली में कोई विधिक व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिये सम्पूर्ण ऋण की वसूली से पूर्व वादी द्वारा चाही गई राहत नहीं दिये जाने का अनुरोध किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा दौराने बहस उभयपक्ष के वकीलों द्वारा कथित कथनों पर विचार किया, प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 4, 9 से 12 का जवाब स्वीकारात्मक रहा है, भविष्य में कोई विवाद न हो इसलिये वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा किया जाना आवश्यक समझते हैं, प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को प्रदान किये गये ऋण के बदले उसके हिस्से की भूमि को ही रहन रखा गया है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किये जाने में प्रतिवादी संख्या 13 को भी ऋण वसूली में कोई विधिक व्यवधान उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य पाया गया, इसलिये प्रकरण में निम्नानुसार क्रियात्मक आदेश प्रदान किये जाते है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रस्तुत वाद, जवाब व बहस के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सूलिया पटवार हल्का सूलिया तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान की जमाबंदी खाता संख्या 234 नया व 184 पुराना की आराजी ख.नं. 481 रकबा 0.6070 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 481/1462 रकबा 0.4805 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.0875 हेक्टेयर, तथा जमाबंदी खाता संख्या 235 नया व 230 पुराना की आराजी ख.नं. 291 रकबा 0.2150, हेक्टेयर, खसरा नम्बर 292 रकबा 1.2645 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 303 रकबा 1.1381 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.6176 हेक्टेयर, में वादीगण तथा प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, के नियम 18 से 21 में वर्णित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए बंटवारा कर पृथक पृथक खाता कायम करने व अलग हुए खाते के अनुसार कब्जा दिलवाये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में दर्ज रहन यथावत रहेगा। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज **दिनाक 18.07.2024** को हमारे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(छत्रपाल चौधरी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

Scanned with OKEN Scanner